

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चंडीगढ़।

सेवा में,

1. सभी अधिष्ठता अधिकारी, श्रम न्यायालय, हरियाणा राज्य।
2. अतिरिक्त श्रम आयुक्त, गुरुग्राम (एन0सी0आर0)।
3. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
4. सभी उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
5. सभी संयुक्त निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
6. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
7. कल्याण अधिकारी (महिला) फरीदाबाद व पानीपत।
8. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।

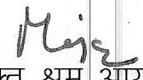
क्रमांक: स्था0/01/2017/33637-713

दिनांक: 1-12-17

Subject:- Regarding revenue land records for all Governments lands.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषय संबंध में आपको सादर सूचित किया जाता है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, हरियाणा द्वारा अर्ध सरकारी पत्र प्राप्त हुआ है, जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध किया जाता है कि विषय संबंधी मामलों में यह सूचना प्रदान करने का कष्ट करें तथा स्पष्ट करें कि आप द्वारा अपने कार्यालय की जमीन आप द्वारा या श्रम विभाग अथवा किसी अन्य विभाग द्वारा खरीदी गई है, और उसको अपने नाम पर दर्ज नहीं करवाया गया है तो इसे बारे शीघ्र जमीन की रजिस्ट्ररी अपने कार्यालय के नाम पर दर्ज करवायें। अपनी रिपोर्ट पत्र प्राप्ति के दो दिन के अन्दर-2 शीघ्र इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें ताकि मामलों में आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा सकें।


अतिरिक्त श्रम आयुक्त (प्रशा0),
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृष्ठाकान क्रमांक: स्था0/2017/

दिनांक:

पत्र की प्रति लेखा अधिकारी, मुख्यालय को भेजकर अनुरोध किया जाता है कि विषय संबंधी मामले में अपनी रिपोर्ट दिनांक 04.01.2017 तक प्रात 11.00 बजे तक स्थापना अनुभाग को देने का कष्ट करें कि कौन-2 से क्षेत्रीय कार्यालय रेंट पर चल रहे हैं।


अतिरिक्त श्रम आयुक्त (प्रशा0),
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।